

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग - 2

विधान सभा तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी।
सोमवार, 17 अप्रैल, 1995/ चैत्र 27, 1917 शक्।

संख्या. 168

सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई

माननीय अध्यक्ष को सम्प्रोधित दिनांक 10. 4. 95 की निम्नलिखित सूचना पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली ज़िला, नई दिल्ली द्वारा आज अर्थात् दिनांक 17. 4. 95 को प्राप्त हुई :-

"मुझे सम्मान आपको यह सूचित करना है कि बोट क्लब लैन, नई दिल्ली में आज अर्थात् दिनांक 10. 4. 95 को 4. 21 बजे अपराह्न दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत पुलिस के विधितम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने पर दिल्ली के माननीय विधायकों सर्वनी राम भूज, राजेन्द्र गुप्ता, राजेश शर्मा, मेवा राम आर्य, जगदीश लाल बतरा, करन सिंह तैवर, बलधीर तिंह, एम. एस. पंवार, राजेन्द्र गुप्ता, हरि कृष्ण, फ्लोह सिंह, राम पाल कराहना, मदन लाल गाथा, राम निवास गोयल, साहब सिंह घौड़ान, ज्ञान चन्द, स्वरूप चन्द राजन, नन्द किशोर गर्ग, गौरी शंकर भारद्वाज, चौद राम, विनोद कुमार शर्मा, वासदेव कप्तान, इन्द्र राज सिंह, दर्शन कुमार बहल, सतीश चन्द्र खण्डेलवाल, बोध राज, पूरन चन्द योगी, आलोक कुमार, नरेश गौड़, पी. के. चांदला, देवेन्द्र सिंह, चीत राम सोंलकी, मोती लाल सोंदी, धैरिय सुंलकी, सतं प्रकाश राणा और पुर्णिमा प्रेठी को उनके अन्य समर्थकों के साथ नज़रबन्द कर दिया गया।

इसी प्रकार से दिल्ली के माननीय विधायकों सर्वनी रामवीर सिंह विधुइ, शोएब इकबाल और परवेज़ हाशमी को उनके अन्य समर्थकों के साथ उसी स्थान पर आज अर्थात् 10. 4. 95 को 4. 32 बजे अपराह्न दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत पुलिस के विधितम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने पर नज़रबन्द कर दिया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 10. 4. 95 को पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से 4. 50 बजे अपराह्न रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to Assembly & other matters)

Monday, April 17, 1995/Chaitra 27, 1917 (Saka)

No. 168

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 10.4.95 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received today i.e. 17.4.95 :-

"I have the honour to inform you that S/Sh. Ram Bhaj, Rajendra Gupta, Rajesh Sharma, Mewa Ram Arya, Jagdish Lal Batra, Karan Singh Tanwar, Balbir Singh, M.S. Panwar, Rajendra Gupta, Hari Krishan, Fateh Singh, Ram Pal Karhana, Madan Lal Gaba, Ram Niwas Goyal, Sahib Singh Chauhan, Gian Chand, Swarup Chand Rajan, Nand Kishore Garg, Gauri Shanker Bhardwaj, Chand Ram, Vinod Kumar Sharma, Vasdev Kaptan, Inder Raj Singh, Darshan Kumar Bahl, Satish Chandra Khandelwal, Bodh Raj, Puran Chand Yogi, Alok Kumar, Naresh Gaur, P.K. Chandla, Devendra Singh, Jeet Ram Solanki, Moti Lal Sodhi, Dharam Dev Golanki, Sat Prakash Rana and Km. Purnima Sethi, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Boat Club Lawns, New Delhi at 1621 hours today i.e. 10.4.95.

Similarly S/Sh. Ramvir Singh Bidhuri, Shoaib Iqbal and Farvej Hashmi Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from the same place at 1632 hours today i.e. 10.4.95.

They were released at 1650 hours from Police Station, Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 10.4.95."

P.N. GUPTA
SECRETARY